



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 868155

(प्रारूप—अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिल्लीमा इन फार्मेसी संस्थानओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का पारलेख

इस बिला दिल्ली एवं श्रीमती अच्छा दिल्ली अध्यक्ष एवं प्रबंधक को ० आर० एस० पन्नालाल सरावगी एजुकेशनल संस्थान, पता— ग्राम भट्टी पोस्ट खरगोपुर, जिला गोण्डा शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा स्थानिक पंडित दिल्ली एजुकेशनल इस्टेट्यूट, पता— ग्राम भट्टी पोस्ट खरगोपुर जिला गोण्डा नामक डिल्लीमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम को ० आर० एस० पन्नालाल सरावगी एजुकेशनल संस्थान, पता— ग्राम भट्टी पोस्ट खरगोपुर, जिला गोण्डा में गाठा संख्या ५७४क रकमा ०.८१००५० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या ५७४क रकमा ०.८१००५० पर उपरोक्त नाम की डिल्लीमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की ईरक दिनांक १२.०६.२०२२ द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिल्लीमा इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवारों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली के नियन्त्रों के अन्तर्गत ही डिल्लीमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रबंध क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्वित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, ७०४० लखनऊ रो सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीओआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास लम्, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आर्क इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुनिजित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाप की तीनांती सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ की पूर्व कर दिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करना। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय नियमित में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियमित एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्य अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सुनिजित है। यहि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हुए भी मेरे शिक्षद्वयिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा। ऐसी की गयी सफल दिए गए उत्तरकर्ता की पहचान

बहिर्भूत

१० अध्यक्ष

S. S. M.

१० प्रबंधक